बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

खगडिया जिले के सातों प्रखंड में सबसे अधिक गोगरी प्रखंड के कई पंचायत के भूजल में आर्सेनिक का दुष्प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। संपूर्ण जिला पहले से ही आयरण से दुष्प्रभावित है। जलमीनार बेकार पड़ा है और लोगों को शुद्ध पानी मिले इसको लेकर पी.एच.ई.डी. की ओर से आयरन रिमुवल प्लांट जगह-जगह लगाया गया, लेकिन यह योजना फेल कर गई। आयरन मुक्त पेयजल मुहैया कराने को लेकर गोगरी क्षेत्र में लगाए गए आयरन रिमुवल प्लांट आज बेकार पड़े हैं।

गोगरी प्रखंड के मदारपुर और पूर्वी ठाठा पंचायत में आर्सेनिक की मात्रा पानी में 100 से 300 पी.पी.बी. (पार्ट पर मिलियन) तक पाया गया। आयरन की मात्रा भी मानक से अधिक थी। पी.एच.ई.डी. विभाग भी 100 से 110 आर्सेनिक की बात स्वीकार करता है।

अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में खगडिया जिले के प्रखंडों, पंचायतों के आम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह0/- सोनेलाल मेहता
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-242/2018- 2482 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सिवान जिलान्तर्गत सिसवन प्रखंड के चैनपुर बाजार में चल रहे प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र जीर्णशीर्ण अवस्था में है, जिसकी इमारत रहने लायन नहीं है तथा कोई चिकित्सक या नर्स नहीं बैठते हैं। यह केन्द्र लगभग बीस गांवों के तीस हजार लोगों के लाइफ-लाइन की तरह कार्य करता था। चिकित्सक का अभाव, दवा एवं भवन की कमी से स्थानीय गरीब, कृषक, वृद्ध लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

अत: उक्त विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- टून जी पाण्डेय
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-243/2018- 2481 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सदर अस्पताल से लेकर रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर सरकार द्वारा मरीजों के इलाज हेतु सभी तरह की सुविधा जैसे डॉक्टर नर्सेज एवं दवाईयों की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे डॉक्टर अस्पताल के चन्द कदम की दूरी पर निजी प्रैक्टिस करते हैं। अधिकतार डॉक्टर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा का उपयोग अपने हित में करते हैं। लोग सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं, पर डॉक्टर उन मरीजों को प्राईवेट नर्सिंग होम जाने पर मजबूर कर देते हैं। यह गोरख धंधा डॉक्टरों द्वारा जिले के सभी अस्पतालों में किया जा रहा है।

अत: मैं इस संबंध में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राम ईशबर महतो

स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-241/2018- 2480 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के चीनी मिलों द्वारा गन्ना की पेराई वर्ष 2018-19 प्रारम्भ हो गया है। राज्य के गन्ना किसान चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति कर रहें हैं। चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को पर्ची पर सिर्फ गन्ना का वजन ही लिखकर दिया जा रहा है, गन्ना मूल्य भी नहीं लिखा जा रहा है। गन्ना किसान गन्ना मूल्यों को लेकर काफी चिन्तित हैं। राज्य के गन्ना किसान सरकार से गन्ना मूल्य निर्धारण की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं तथा पिछले वर्षों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना माप तौल में घटतौली किये जाने से किसान काफी आहत हैं।

अतएव ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य के गन्ना किसानों के हित में गन्ना मूल्य का निर्धारण करने एवं चीनी मिलों द्वारा वजन में की जा रही कटौती पर रोक लगाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राजेश राम
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-265/2018-2513 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 23.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गन्ना उद्योग विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक- 1447 (4) दिनांक- 06.12.2017 द्वारा कुल 463 कर्मियों की निर्गत सेवा अवधि विस्तार में दंत चिकित्सा विज्ञानी का पदनाम एवं कर्मी का नाम गायब है प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, बांकीपुर, पटना के आदेश ज्ञापांक- 1346, दिनांक- 13.10.2017 द्वारा निर्गत सेवा अवधि विस्तार के फलस्वरूप पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, बांकीपुर, पटना-4 में कार्यरत दंत चिकित्सा विज्ञानी का मानदेय 13.10.2018 से बंद है। इस प्रकार कार्रवाई करना संबंधित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की मनगढ़ंत प्रक्रिया है जिससे संविदा पर सेवारत कर्मियों की संवैधानिक देय लाभ से वंचित किया जाना है।

अत: मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में राज्य हित में विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- रामलषण राम रमण, स0वि0प0 एवं
ह0/- रामचन्द्र भारती, स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-266/2018- 2514 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 23.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्